

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

Website: secraj.rajasthan.gov.in, Email: secraj@rajasthan.gov.in, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:प.1(27)रानिआ/लेखा/बजट/2026-27/5553

दिनांक: 05.08.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर,
जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, पाली एवं उदयपुर।

विषय:- नगर निकाय आम चुनाव 2026 हेतु बजट आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के नगर निगम के आम चुनाव 2026 हेतु आयोग के समसंख्यक पत्रांक 3219 दिनांक 27.04.2026 के द्वारा चुनाव के प्रारम्भिक तैयारी के व्ययों के भुगतान हेतु बजट मद 2217-80-191-09-00-57 (राज्य निधि) मांग संख्या-52 के अन्तर्गत एकमुश्त बजट आवंटन किया जा चुका है। अब विभिन्न विस्तृत मदों यथा यात्रा भत्ता, पी.ओ. एल / वाहन किराया, अल्पाहार, मतदान दलों को एकमुश्त भुगतान आदि के व्यय हेतु संलग्न सारणी (परिशिष्ट-1) के अनुसार नगर निगमों के चुनाव हेतु राशि रु. 10,31,76,000/- (अक्षरे राशि रु. दस करोड इकतीस लाख छियतहर हजार मात्र) का आवंटन किया जाता है।

मतदान/मतगणना दलों तथा जोनल मजिस्ट्रेट आदि को प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों को मानदेय का भुगतान आयोग के आदेश संख्या 330 दिनांक 09.01.2026 के निर्देशानुसार किया जावे।

यात्रा भत्ता के अन्तर्गत मतदान दलों, मतगणना दलों व जोनल/एरिया मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कार्मिकों एवं रिजर्व दलों में नियुक्त कार्मिकों आदि को भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 528 दिनांक 16.01.2026 के निर्देशों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावे। ऐसे कार्मिक जो किन्हीं कारणों से स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी निरस्त करवा लेते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिवसों के लिए यात्रा भत्ता (TA & DA) देय नहीं होगा। मतदान दलों का गठन/प्रशिक्षण आयोग के निर्देशानुसार किया जावें। मतदान दलों एवं चुनाव संबंधी अन्य कार्यों में नियोजित कार्मिकों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता का भुगतान यथा संभव सीधे ही संबंधित के बैंक खाते में ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित करावें।

नगर निकाय आम चुनाव 2026 के मतदान दलों, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस व्यवस्था व अन्य सामान्य व्यवस्था/सामग्री परिवहन हेतु मित्तव्ययता का ध्यान रखते हुए, चुनाव कार्य में राजकीय वाहनों का उपयोग किया जावें, अधिग्रहित वाहनों के किराये व पी.ओ.एल. आदि का भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 622 दिनांक 19.01.2026 में स्वीकृत दरों/मापदण्डों के अनुरूप किया जावें।

विडियोग्राफी मद में व्यय आयोग के पत्रांक प.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/187 दिनांक 06.01.2026 के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत ही पत्रांक 953 दिनांक 24.01.2026 की निर्धारित सीमा में मित्तव्ययता पूर्वक किया जावे। मतदान दलों में नियुक्त कार्मिकों को मतदान दिवस पर अल्पाहार के पेटे राशि का भुगतान आयोग के आदेश क्रमांक 528 दिनांक 16.01.2026 के बिन्दु संख्या-07 के दिशा-निर्देशानुसार किया जावे।

चुनाव की विभिन्न व्यवस्थाओं में लगे अन्य कार्मिकों तथा प्रशिक्षकों को अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था आयोग के आदेश क्रमांक 1970 दिनांक 20.02.2026 में निर्धारित दरों के अन्तर्गत की जावे।

टैण्ट/बैरीकेडिंग, लाईट एवं माईक व्यवस्था पर व्यय आयोग के पत्रांक प. 1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/953 दिनांक 24.01.2026 के निर्देशानुसार किये जावे तथा उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत राशि का भुगतान वास्तविक उपयोग दिवसों के लिए ही किया जावे। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी, आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक 5199 दिनांक 30.12.2025 के बिन्दु संख्या (अ) में अंकित शर्तों की पालना सुनिश्चित करावें। मतदान दलों को एकमुश्त राशि का भुगतान मेडिसिन/मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्थाओं पर व्यय आयोग के आदेश क्रमांक 231 दिनांक 07.01.2026 के बिन्दु संख्या 1 से 7 व 9 में निर्धारित दरों से किया जाना है। आदेश के बिन्दु संख्या-08 के अन्तर्गत मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं को पीने के पानी की व्यवस्था उन्हीं मतदान केन्द्रों पर की जानी हैं जहाँ पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध न हो।

प्रायः देखने में आया है कि आवंटित बजट राशि का उपयोग चुनाव संबंधी व्यय के अतिरिक्त अन्य अनावश्यक मदों के खर्चों पर व्यय किया जा रहा हैं। अतः नगर निकाय आम चुनाव 2026 हेतु विभिन्न विस्तृत मदों में आवंटित बजट राशि का उपयोग आयोग द्वारा जारी व्यय करने संबंधी दिशा-निर्देश के पत्र क्रमांक प. 1 (29) (2)/रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/5199 दिनांक 30.12.2025 के दिशा-निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

नियंत्रण अधिकारी राशि के उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित करावें कि, राशि का उपयोग संबंधित बजट मद से एवं संबंधित उपमद की आवंटन सीमा में ही किया गया है। संभावित व्यय राशि का सही आंकलन कर आवश्यकतानुसार यथा समय ए.सी. बिल आहरित किया जावे। आवश्यकता से अधिक राशि का ए.सी. बिल किसी भी परिस्थिति में आहरित नहीं किया जावे। वित्त विभाग एवं आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/प्रपत्रों सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 तथा नियम 2013 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जावे।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार/आयोग द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/निर्देश के किन्हीं बिन्दुओं/व्यय के संबंध में मार्गदर्शन/स्थिति स्पष्ट न होने अथवा संशय उत्पन्न होने पर संबंधित बिन्दु पर आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जावे। किसी भी नियम, परिपत्र/निर्देश की गलत विवेचना के फलस्वरूप राजकोष को होने वाली हानि के लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अतिरिक्त बजट मांग के संबंध में औचित्य सहित विवरण ई-मेल से प्रेषित करावें।

नगर निकाय चुनाव से संबंधित समस्त दायित्वों का निपटारा चुनाव सम्पन्न होने की तिथि से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करावें। उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण विस्तृत मदवार आयोग को मासिक विवरण के साथ ई-मेल से प्रेषित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार



(राजेश वर्मा)

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:प.1(27)रानिआ/लेखा/बजट/2026-27/5554-59 दिनांक 05.08.2026
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित उपजिला निर्वाचन अधिकारी।
4. प्रभारी कम्प्युटर शाखा को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित कार्यालयों को ई-मेल करने हेतु।
5. अंक मिलान शाखा/नगर निकाय चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, मुख्यालय जयपुर।
6. गार्ड फाईल।



(सुरेश चन्द मीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग
राजस्थान जयपुर।

STATE ELECTION COMMISSION, RAJASTHAN

Budget Allotment For Local Bodies (Municipal Corporation) General Election 2026

Budget Head:- 2217-80-191-09-00-57

(Amount in Rs.)

S. No	Districts	OFFICE ID	NO. OF Polling Booths	Video- graphy	Outright Payment	Ballot Paper & Other Printing	TA & DA	POL & VEHICLE	REFRESHMENT	HONORARIUM	ADVERTISEMENT	Tent Barricading, Light, Mike & Strong Room	OTHER EXPENSES	Total Budget Allotment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	AJMER	3710	392	156800	235200	39200	2744000	2156000	980000	78400	78400	392000	196000	7056000
2	ALWAR	14427	241	96400	144600	24100	1687000	1325500	602500	48200	48200	241000	120500	4338000
3	BHARATPUR	9046	200	80000	120000	20000	1400000	1100000	500000	40000	40000	200000	100000	3600000
4	BIKANER	3257	421	168400	252600	42100	2947000	2315500	1052500	84200	84200	421000	210500	7578000
5	JAIPUR	20456	2205	882000	1323000	220500	15435000	12127500	5512500	441000	441000	2205000	1102500	39690000
6	JODHPUR	20463	721	288400	432600	72100	5047000	3965500	1802500	144200	144200	721000	360500	12978000
7	KOTA	10775	721	288400	432600	72100	5047000	3965500	1802500	144200	144200	721000	360500	12978000
8	BHILWARA	13354	265	106000	159000	26500	1855000	1457500	662500	53000	53000	265000	132500	4770000
9	PALI	5387	160	64000	96000	16000	1120000	880000	400000	32000	32000	160000	80000	2880000
10	UDAPIPUR	20448	406	162400	243600	40600	2842000	2233000	1015000	81200	81200	406000	203000	7308000
TOTAL			5732	2292800	3439200	573200	40124000	31526000	14330000	1146400	1146400	5732000	2866000	103176000

(अक्षरे राशि रुपये दस करोड इकतीस लाख छियतहर हजार मात्र)

(सुरेश चन्द भीणा)
वरिष्ठ लेखाधिकासी,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर